

—:: कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::

क्रमांक 02 / एक-11-1/11

उज्जैन, दिनांक 11/01/2024

// संशोधित कार्य विभाजन आदेश //

कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 26/I-11-1/2011 दिनांक 08-04-2023, 44 दिनांक 11-05-2023 & 78 दिनांक 29-09-2023 व 102 दिनांक 21-12-2023 में आंशिक संशोधन करते हुए क्लेम पिटीशन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में निम्नानुसार मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालयों को अधिकृत किया जाता है :-

क्रं.	न्यायालय का नाम	बीमा कंपनी का नाम
1	श्री संजीव कुमार गुप्ता सदस्य, द्वितीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण उज्जैन	Claim petition under Motor Vehicles Act related to <b>United India Insurance Company</b>
2	श्री संजय श्रीवास्तव सदस्य, पंचम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण उज्जैन	Claim petition under Motor Vehicles Act related to <b>All Private Insurance Company</b>
3	श्री शशिकांत वर्मा सदस्य, सप्तम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण उज्जैन	Claim petition under Motor Vehicles Act related to <b>If Two Insurance Company Involved</b>
4	श्री सुनील कुमार शौक सदस्य, नवम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण उज्जैन	Claim petition under Motor Vehicles Act related to <b>Without Insurance Company</b>
5	श्री विवेक कुमार चंदेल सदस्य, अष्टम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण उज्जैन	Claim petition under Motor Vehicles Act related to <b>Oriental Insurance Company</b>
6	श्री अभिषेक नागराज सदस्य, तृतीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण उज्जैन	Claim petition under Motor Vehicles Act related to <b>National Insurance Company</b>
7	श्री राजेश जैन सदस्य, चतुर्थ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण उज्जैन	Claim petition under Motor Vehicles Act related to <b>New India Insurance Company</b>

नोट : -

पूर्व में कार्यविभाजन पत्रकों में पुलिस स्टेशन अनुसार क्लेम प्रस्तुत करने के संबंध में किया गया आदेश संबंधित पुलिस स्टेशनों की ओर से प्रस्तुत किये जाने वाली FAR, IAR & DAR के संबंध में ही प्रभावशील रहेगा।

(दीपेश कुमार तिवारी)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
उज्जैन (म.प्र.)

11 JAN 2024

उज्जैन, दिनांक ...../01/2024

पृ. क्रमांक 380 / एक-11-1/11

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. ....  
समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी, फाईलिंग अनुविभाग, उज्जैन की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ।
4. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
उज्जैन (म.प्र.)